बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक– बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641)..348..

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक–10/02/2026

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (चालू स्कीम) अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में 1,52,09,50,000/– (एक अरब बावन करोड़ नौ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 52,09,50,000/– (बावन करोड़ नौ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु कई प्रकार की योजनाओं को यथार्थता प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में लगभग 76,000 विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन हेतु सरकारी विद्यालय में तीव्र गति से जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

2. उपरोक्त स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (चालू स्कीम) अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल 1,52,09,50,000/– (एक अरब बावन करोड़ नौ लाख पचास हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 52,09,50,000/– (बावन करोड़ नौ लाख पचास हजार) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि 52,09,50,000/– (बावन करोड़ नौ लाख पचास हजार) के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 053–भवनो का अनुरक्षण, उप शीर्ष 0001–माध्यमिक विद्यालयों के भवनो का जीर्णोद्धार विपत्र कोड– 21–2202–02–053–0001 के विषय शीर्ष 27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. उक्त राशि के व्यय में विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 एवं पत्रांक 122 दिनांक 18.09.2024 और पत्रांक 110 दिनांक 27.09.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 27.09.2024 के आलोक में आवश्यकतानूसार अधिकतम 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति विद्यालय की दर से किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा किया जायेगा।

7. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता एवं कार्य की गुणवत्ता का ध्यान अनिवार्य रूप से रखा जाय।

8. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त राशि को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराये गये पीत पत्र/जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र एवं उच्चस्तरीय निदेश के आधार पर

संबंधित जिलो को राशि आवंटित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला को आवंटित राशि व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता आधारित राशि Withdrawal कर अन्य जिलों को CFMS से राशि आवंटित कर दी जायेगी।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा राशि की निकासी नियमानूसार Fully Vouched Bill के आधार पर की जायेगी।

10. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (चालू स्कीम) अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में 3,47,90,50,000 (तीन अरब सैंतालीस करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 3 और कंडिका 5 (ख)(ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

14. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–33 पर राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–17 पर राशि की निकासी पर अपर मुख्य सचिव अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–7 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) 3.49 पटना, दिनांक– 10/02/2026

प्रतिलिपि :–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक माध्यमिक शिक्षा/उप निदेशक (प्रशासन)–सह–बजट पदाधिकारी/निदेशक प्रशासन/बजट शाखा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.2.26

सरकार के उप सचिव